राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
(सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ)

क्रमांकः प10(859)/परि/स.सु./ब.घो. 2020–21/मु. पु. घो./2020/16691 दिनांकः 27-8-2020

कार्यालय आदेश 20/2020

'मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार हेतु दिशा निर्देश

राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 23,000 सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 10 हजार से अधिक व्यक्ति असमय ही काल कवलित हो जाते हैं जिनमें 18 से 45 वर्ष तक के युवाओं की संख्या सर्वाधिक है। सड़क दुर्घटना परिवार के लिए मानसिक आघात लाती है तथा यह सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से भी चिंतनीय है। इन सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2020–21 के बिन्दु संख्या 130 के अनुसार **"राज्य में सड़क सुरक्षा के क्षेत्रा में बेहतरीन कार्य करने वाले जिलों को प्रोत्साहित करने के लिए सड़क दुर्घटना मृत्यु दर कम करने वाले सर्वश्रेष्ठ तीन जिलों को क्रमशः 25 लाख रुपये, 15 लाख रुपये एवं 10 लाख रुपये का मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार दिये जाने की घोषणा करता हूँ"**, की क्रियान्विति हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किए जाते है :–

1. 'मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार' का प्रमुख उद्देश्य राज्य में सड़क दुर्घटनाओं तथा इनमें कारित मृत्यु दर में कमी लाने हेतु प्रोत्साहित करना है।
2. इस पुरस्कार हेतु जिलों के चयन में निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए जाते हैं :–

   (i) जिले में सड़क दुर्घटनाओं एवं इससे कारित मृत्यु में गत वर्ष की तुलना में कमी।

   (ii) जिला स्तरीय यातायात प्रबंधन समिति की बैठकों का नियमित आयोजन एवं निर्णयों की क्रियांविति।

   (iii) जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठकों का नियमित आयोजन एवं निर्णयों की क्रियांविति।

   (iv) विद्यालयों / महाविद्यालयों में सड़क सुरक्षा शिक्षा / जागरूकता कार्यक्रम / गतिविधियों एवं हितधारक विभागों हेतु सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।

   (v) माननीय उच्चतम न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों की अनुपालना में मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत की गई प्रवर्तन कार्यवाही एवं कुल चालानों की संख्या।

   (vi) गतिसीमा का उल्लंघन, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग, भार वाहनों में ओवरलोडिंग एवं यात्री परिवहन, यात्री वाहनों में ओवरक्राउडिंग, शराब पीकर वाहन चलाने के प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से की गई लाइसेंस निलम्बन कार्यवाही।

(vii) 'अच्छा मददगार' (गुड सेमेरिटन) दिशा निर्देश के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार एवं जागरूकता।

(viii) ब्लैक स्पॉट सुधार, जंक्शन सुधार, सड़क चिन्ह्व व रोड मार्किंग, गति नियंत्रक उपाय, पुलों का रख रखाव, पहाड़ी सड़कों तथा जल स्त्रोत की निकटवर्ती सड़कों पर क्रैश बैरियर निर्माण, राजमार्गों पर आबादी क्षेत्र में सुचारू प्रकाश व्यवस्था आदि सड़क अभियांत्रिकी कार्यों की क्रियांविति।

(ix) जिले में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को 'तोषण निधि योजना' एवं 'मुख्यमंत्री राहत कोष' के माध्यम से मदद उपलब्ध करवाना।

(x) अन्य बिन्दु जो समिति द्वारा सोदेश्य निर्णित हो।

3. पुरस्कार हेतु चयन अनुलग्नक – 1 में वर्णित मूल्यांकन तालिका में जिले द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर किया जाएगा।

4. उपरोक्त वर्णित मानदंडों के विश्लेषण हेतु जिले में पिछले एक कैलेण्डर वर्ष में आयोजित सड़क सुरक्षा गतिविधियों का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अनुलंग्नक – 2 में दिए गए प्रारूप के अनुसार राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

5. योजना के अंतर्गत जिलों के चयन हेतु निम्नानुसार कार्यकारी समिति गठित की जाती है:–

(1) अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन	–	अध्यक्ष
(2) अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	–	सदस्य
(3) अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस (यातायात)	–	सदस्य
(4) सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग	–	सदस्य
(5) परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव	–	सदस्य सचिव

6. उक्त समिति वर्ष समाप्ति उपरांत बैठक का आयोजन करते हुए पिछले वर्ष के पुरस्कार की घोषणा करेगी। यह पुरस्कार वर्ष 2021 से वार्षिक आधार पर घोषित किये जाएंगे।

7. पुरस्कार की राशि 'समर्पित सड़क सुरक्षा कोष' पर प्रभारित होगी।

8. पुरस्कार के संबंध में कार्यकारी समिति का निर्णय अंतिम होगा।

(रवि जैन)
शासन सचिव एवं
परिवहन आयुक्त

क्रमांकः प10(859) / स.सु. / ब.घो. 2020–21 / मु. पु. घो. / 2020 दिनांकः

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. निजी सचिव, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (यातायात), पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. निजी सचिव, शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर।
14. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
15. महाप्रबंधक, एन. एच. ए. आई., एफ–120, जनपथ, श्याम नगर, जयपुर।
16. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, RSRDCC, सेतु भवन, झालाना डूंगरी, जयपुर।
17. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रिडकॉर, द्वितीय तल, जीवन निधि भवन, अंबेडकर सर्किल, जयपुर।
18. अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा. / रिट / नियम / यो.वि. / प्रवर्तन), परिवहन विभाग, राजस्थान।
19. सिस्टम एनालिस्ट, परिवहन विभाग राजस्थान को विभागीय वेबसाइट पर अद्यतन करने हेतु।
20. समस्त अधिकारीगण, राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग राजस्थान।
21. समस्त प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग, राजस्थान।
22. रक्षित पत्रावली।

उप परिवहन आयुक्त (स. सु.)

अनुलग्नक – 1

मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार हेतु मूल्यांकन तालिका

क्र.स.	मानदंड विवरण	अधिकतम अंक
1	पिछले वर्ष की तुलना में जिले में सड़क दुर्घटना मृत्युदर में कमी	30
2	पिछले वर्ष की तुलना में जिले में सड़क दुर्घटनादर में कमी	15
3	जिला स्तरीय यातायात प्रबंधन समिति एवं जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठकों का नियमित आयोजन एवं निर्णयों की क्रियांविति	5
4	विद्यालयों/महाविद्यालयों में सड़क सुरक्षा शिक्षा/जागरूकता कार्यक्रम/गतिविधियों एवं हितधारक विभागों हेतु सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन	10
5	माननीय उच्चतम न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों की अनुपालना में मोटर वाहन अधिनियम के अंर्तगत की गई प्रवर्तन कार्यवाही एवं कुल चालानों की संख्या	5
6	गतिसीमा का उल्लंघन, लाल बत्ती का उल्लंघन, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग, भार वाहनों में ओवरलोडिंग एव यात्री परिवहन, यात्री वाहनों में ओवरक्राउडिंग, शराब पीकर वाहन चलाने के प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से की गई लाइसेंस निलम्बन कार्यवाही	5
7	जिले में 108 एंबुलेस सेवा का औसत रेस्पांस टाइम	5
8	'अच्छा मददगार' (गुड सेमेरिटन) दिशा निर्देशों के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार एवं जागरूकता	5
9	ब्लैक स्पॉट सुधार, जंक्शन सुधार, सड़क चिन्ह व रोड मार्किंग, गति नियंत्रक उपाय, पुलों का रख रखाव, पहाड़ी सड़कों तथा जल स्त्रोत की निकटवर्ती सड़कों पर क्रैश बैरियर निर्माण, राजमार्गों पर आबादी क्षेत्र में सुचारू प्रकाश व्यवस्था आदि सड़क अभियांत्रिकी कार्यों की क्रियांविति।	10
10	जिले में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को 'तोषण निधि योजना' एवं 'मुख्यमंत्री राहत कोष' के माध्यम से मदद उपलब्ध करवाना।	10
	कुल अंक	**100**

सड़क सुरक्षा मानदंडों की मूल्यांकन पद्धति

1. गत वर्ष की तुलना में जिले में सड़क दुर्घटना मृत्युदर में कमी

अधिकतम अंक	1 से 5 प्रतिशत कमी	6 से 10 प्रतिशत कमी	10 प्रतिशत से अधिक कमी
30	10	20	30

2. पिछले वर्ष की तुलना में जिले में सड़क दुर्घटनादर में कमी

अधिकतम अंक	1 से 5 प्रतिशत कमी	6 से 10 प्रतिशत कमी	10 प्रतिशत से अधिक कमी
15	5	10	15

3. जिला स्तरीय यातायात प्रबंधन समिति एवं जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठकों का नियमित आयोजन एवं निर्णयों की क्रियांविति

अधिकतम अंक	हर तिमाही में यातायात प्रबंधन समिति की समयानुसार आयोजित प्रत्येक बैठक हेतु 1 अंक अन्यथा 0 अंक	जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ की नियमित बैठकों हेतु 1 अंक अन्यथा 0 अंक
5	4	1

4. विद्यालयों/महाविद्यालयों में सड़क सुरक्षा शिक्षा/जागरूकता कार्यक्रम/गतिविधियों एवं हितधारक विभागों हेतु सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।

अधिकतम अंक	2 अथवा उससे कम कार्यक्रम	3 से 5 कार्यक्रम	6 से 10 कार्यक्रम	10 से अधिक कार्यक्रम
10	2	5	8	10

5. माननीय उच्चतम न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों की अनुपालना में मोटर वाहन अधिनियम के अंर्तगत की गई प्रवर्तन कार्यवाही एवं कुल चालानों की संख्या

अधिकतम अंक	गत वर्ष की तुलना में प्रवर्तन कार्यवाही में 1 से 5 प्रतिशत बढ़ोतरी	गत वर्ष की तुलना में प्रवर्तन कार्यवाही में 6 से 10 प्रतिशत बढ़ोतरी	गत वर्ष की तुलना में प्रवर्तन कार्यवाही में 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी
5	1	3	5

6. गतिसीमा का उल्लंघन, लाल बत्ती का उल्लंघन, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग, भार वाहनों में ओवरलोडिंग एव यात्री परिवहन, यात्री वाहनों में ओवरक्राउडिंग, शराब पीकर वाहन चलाने आदि यातायात नियमों के उल्लंघन हेतु की गई लाइसेंस निलम्बन कार्यवाही

अधिकतम अंक	कुल चालानों के 10 से 25 प्रतिशत लाइसेंस निलम्बन	कुल चालानों के 26 से 50 प्रतिशत लाइसेंस निलम्बन	कुल चालानों के 50 प्रतिशत से अधिक लाइसेंस निलम्बन
5	2	4	5

7. जिले में 108 एंबुलेस सेवा का औसत रेस्पांस टाइम

अधिकतम अंक	30 मिनट से अधिक	20 से 30 मिनट	20 मिनट से कम
5	1	2	5

8. 'अच्छा मददगार' (गुड सेमेरिटन) दिशा निर्देशों के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार एवं जागरूकता (निजी एवं राजकीय अस्पताल, पुलिस थाना, सार्वजनिक स्थल)

अधिकतम अंक	50 स्थानों पर गाइडलाइन का प्रदर्शन	50 से अधिक स्थानों पर गाइडलाइन का प्रदर्शन
5	2	5

9. ब्लैक स्पॉट सुधार, जंक्शन सुधार, सड़क चिन्ह्न व रोड मार्किंग, गति नियंत्रक उपाय, पुलों का रख रखाव, पहाड़ी सड़कों तथा जल स्त्रोत की निकटवर्ती सड़कों पर क्रैश बैरियर निर्माण, राजमार्गों पर आबादी क्षेत्र में सुचारू प्रकाश व्यवस्था आदि सड़क अभियांत्रिकी कार्यों की क्रियांविति।

अधिकतम अंक	सुधार कार्यों की संख्या (20 से 50)	सुधार कार्यों की संख्या (51 से 100)	सुधार कार्यों की संख्या (100 से अधिक)
10	4	8	10

10. जिले में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को 'तोषण निधि' एवं 'मुख्यमंत्री राहत कोष' के माध्यम से मदद उपलब्ध करवाना एवं प्रचार प्रसार।

अधिकतम अंक	सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों की मदद (सड़क दुर्घटनाओं का 25 प्रतिशत तक)	सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों की मदद (सड़क दुर्घटनाओं का 25 प्रतिशत से अधिक)
10	5	10

अनुलग्नक – 2

सड़क सुरक्षा – वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन का प्रारूप

क्र.स.	विवरण
1	जिले में पिछले तीन वर्षों में घटित सड़क दुर्घटना मृत्यु एवं घायलों की संख्या एंव पिछले वर्ष की तुलना में सड़क दुर्घटना मृत्युदर एवं घायलों की दर में दर्ज की गई कमीं/बढ़ोतरी का विवरण संलग्न करें
2	जिले में पिछले तीन वर्षों में घटित सड़क दुर्घटनाएं एंव पिछले वर्ष की तुलना में सड़क दुर्घटनादर में दर्ज की गई कमी/बढ़ोतरी का विवरण संलग्न करें
3	पिछले कैलेण्डर वर्ष में आयोजित जिला स्तरीय यातायात प्रबंधन समिति एवं जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठकों एवं निर्णयों की क्रियांविति का विवरण संलग्न करें
4	जिले के विद्यालयों/महाविद्यालयों में सड़क सुरक्षा शिक्षा / जागरूकता कार्यक्रम / गतिविधियों एवं हितधारक विभागों हेतु आयोजित सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रिपोर्ट संलग्न करें
5	माननीय उच्चतम न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों की अनुपालना में मोटर वाहन अधिनियम के अंर्तगत की गई प्रवर्तन कार्यवाही एवं कुल चालानों की संख्या की रिपोर्ट संलग्न करें (पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत बढ़ोतरी/कमी सहित)
6	गतिसीमा का उल्लंघन, लाल बत्ती का उल्लंघन, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग, भार वाहनों में ओवरलोडिंग एवं यात्री परिवहन, यात्री वाहनों में ओवरक्राउडिंग, शराब पीकर वाहन चलाने के प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से की गई लाइसेंस निलम्बन कार्यवाही का विवरण संलग्न करें
7	जिले में 108 एंबुलेस सेवा का औसत रेस्पांस टाइम के संबंध रिपोर्ट संलग्न करें
8	हितधारक विभागों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से 'अच्छा मददगार' के बारे में किए गए प्रचार प्रसार एवं जागरूकता गतिविधियों तथा राजकीय व निजी चिकित्सालयों, पुलिस थानों एवं सार्वजनिक स्थलों पर 'अच्छा मददगार' दिशा निर्देशों के प्रदर्शन का विवरण संलग्न करें
9	जिले में ब्लैक स्पॉट सुधार, जंक्शन सुधार, सड़क चिन्ह्न व रोड मार्किंग, गति नियंत्रक उपाय, पुलों का रख रखाव, पहाड़ी सड़कों तथा जल स्त्रोत की निकटवर्ती सड़कों पर क्रैश बैरियर निर्माण, राजमार्गों पर आबादी क्षेत्र में सुचारू प्रकाश व्यवस्था आदिं सड़क अभियांत्रिकी कार्यों की संख्या एवं क्रियांविति की रिपोर्ट संलग्न करें
10	जिले में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को 'तोषण निधि योजना' एवं 'मुख्यमंत्री राहत कोष' के माध्यम से मदद उपलब्ध करवाए गए लाभार्थियों की संख्या, मय विवरण, संलग्न करें